5

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुभाषावादी पहल

रितिका*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारतीय रीति के अनुरूप बनी देश की तीसरी शिक्षा नीति है। वर्तमान आवश्यकताओं, आकांक्षाओं व अपेक्षाओं की पूर्ति तथा भविष्य की आवश्यकताओं को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की दूरदृष्टि इसमें समाहित है। हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि एक लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यूँ तो नयी शिक्षा नीति के कई आयामों पर विभिन्न दृष्टियों से बात हो सकती है लेकिन इस लेख में भाषा संबंधी नीतियों को चर्चा का विषय बनाया गया है। इस लेख का उद्देश्य बहुभाषिकता तथा भाषाओं की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नयी शिक्षा नीति के तहत किए गए भाषा संबंधी प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख करना है। सांकेतिक भाषा का संवर्धन उतना ही ज़रूरी है जितना अन्य भाषाओं का। भाषा की इस चर्चा में सांकेतिक भाषा पर भी प्रमुखता से विचार किया गया है।

देश में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में पारित हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के 34 साल बाद आई, जो देश की तीसरी शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर की शिक्षा से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा तक को बहुआयामी, लचीला और प्रभावी बनाना है। यह नीति विद्यार्थी की पहुँच को कक्षा से लेकर ई-कक्षा तक बढ़ाने तथा पाठ्यक्रम में सुधार से लेकर ई-पाठ्यक्रम के विकास तक सभी पर समान रूप से प्रभावकारी कदम उठाने की बात करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हर बच्चे को विशिष्ट मानते हुए उसकी पसंद, रुचि, कौशल, परिवेश के अनुसार शिक्षण का स्वरूप तय करने पर बल देती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव भाषा आधारित नीतियों पर दिखाई देता है। जहाँ बच्चे की अधिगम क्षमता, ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक विकास को सर्वोपरि रखा गया है जिसमें भाषा रास्ता हो सकती है, रोड़ा नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तथा भाषा की शक्ति को पहचानते हुए सरकार ने बहुभाषी भारत की बहुभाषी जनता के लिए एक बहुभाषावादी शिक्षण पद्धति को प्रस्तावित किया है।

भारत एक बहुभाषी देश है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अकसर इसके नीतिबद्ध अध्ययन की कमी महसूस की गई। रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव लिखते हैं कि 'भाषाशिक्षण के किसी निश्चित योजनाबद्ध अध्ययन-अध्यापन के अभाव के बावजूद बहुभाषिकता देश की संचार-व्यवस्था की एक प्रमुख शर्त है।' इसी अभाव को दूर करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसमें भाषा

* *कनिष्ठ परियोजना सहायक*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

शिक्षण को समग्रता के साथ अपनाया गया है। इसमें मातृभाषा के अपनत्व के भाव के साथ शास्त्रीय भाषाओं का ज्ञान तथा क्षेत्रिय भिन्नता का महत्व व विदेशी ज्ञान, व्यापार और व्यवसाय से ओतप्रोत भाषा का समावेश है।

भाषा शिक्षण में विद्यालय और शिक्षक की भूमिका अहम होती है। 'भाषा पूरी शिक्षा की ज़मीन तैयार करती है। जहाँ सिर्फ़ भाषा पढ़ना-सीखना नहीं, बल्कि भाषा से जुड़े नए मुद्दे, जैसे— बहुभाषिक कक्षा, समझ का माध्यम, समावेशी शिक्षा, शिक्षा में शांति और भाषा की भूमिका आदि की समझ अध्यापकों के लिए ज़रूरी है।' अतः नीति के अनुसार अध्यापकों को नियमित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि वह सही मायनों में भाषा व उससे संबंधित विषयों और विचारों को भी विद्यार्थियों तक प्रेषित कर सकें।

मातृभाषा या घर की भाषा में शिक्षण पर ज़ोर

बच्चे अपनी घर की भाषा या मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं। इस तथ्य को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण पर बल देती है— 'जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उसके आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा।' अब बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में एक अनजान भाषा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। बच्चे मातृभाषा में बिना किसी असुविधा के पढ़ पाएँ, इसके लिए सरकार द्वारा जल्द से जल्द मातृभाषा में विज्ञान सहित सभी विषयों की उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएँगी जिन पर लगातार काम चल भी रहा है।

जब नीति घर की भाषा में शिक्षण की बात करती है तो इसका कतई अर्थ नहीं है कि किसी चलताऊ भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन और मानकीकृत भाषा के प्रयोग को वर्जित कहा जा रहा है। यह घर की भाषा में शिक्षण का अर्थ है जिस उम्र में बच्चा नयी संकल्पनाओं, आधारभूत ज्ञान को अर्जित कर रहा है, विभिन्न विषय पढ़ रहा है, जहाँ भाषा विषय को समझने का एक माध्यम है। वहाँ यदि बच्चे को उस भाषा में पढ़ाया जाए जो उसके लिए सहज है जिसमें वह नया ज्ञान आसानी से अर्जित कर सकता है तो वह जल्दी सीख सकता है और बेहतर समझ विकसित कर सकता है। घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का माध्यम के रूप में प्रयोग प्रारंभिक स्तर पर ही सर्वाधिक होता है और प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण अपरिहार्य रूप से होना भी चाहिए।

भारतीय भाषाओं को सीखना

बच्चे प्रारंभिक वर्षों में कोई भी भाषा बहुत जल्दी सीख लेते हैं इसलिए नीति ग्रेड 3 के और आगे की कक्षाओं में बच्चों को अन्य भाषाएँ विशेषकर भारतीय भाषाओं को सिखाया जाएगा। इन भाषाओं को बेहद ही रोचक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा। त्रिभाषा के फ़ॉर्मूले को जारी रखते हुए नयी शिक्षा नीति ने इसे और भी लचीला बना दिया है, लेकिन बच्चों में भाषा दक्षता का भी ध्यान रखा गया है — 'बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के होंगे, जिनमें से कम से कम तीन में से दो भाषाएँ हों। विशेष रूप से, जो छात्र तीन में से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते है, वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषा में,

© NCERT not to be republished

जिसमें एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा।' अतः बच्चे जो भी भाषा या भाषाएँ चुनते हैं उन्हें उनमें पारंगत भी होना होगा यानी एक गुणवत्तापूर्ण भाषा शिक्षण पर बल नयी शिक्षा नीति के अनुसार दिया जाएगा। विभिन्न भाषाओं में शिक्षण सुचारू रूप से हो इसके लिए न केवल स्कूली पाठ्यक्रम की पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशन हो रहा है, अपितु प्राथमिक से उच्च स्तर तक की अन्य बालोपयोगी पुस्तकों का बेहद तीव्र गति से विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जा रहा है और आगे भी इसे जारी रखा जाएगा।

शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं का शिक्षण

शास्त्रीय भाषाएँ अर्थात् वे भाषाएँ जिनमें हमारे शास्त्र आदि लिखे गए। ये भाषाएँ अपने आप में गूढ़ ज्ञान, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को संजोए हैं। नयी शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों में छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में इन भाषाओं का शिक्षण होगा ताकि ये भाषाएँ और साहित्य जीवित व जीवंत रहें तथा इन भाषाओं का ज्ञान आगामी पीढ़ी को भी हो। अभिनव और अनुभव एप्रोच के साथ भारत की शास्त्रीय भाषाओं, जैसे— संस्कृत, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया आदि भाषाओं और उनसे जुड़े साहित्य को विद्यार्थियों के पास कम से कम दो साल सीखने का विकल्प होगा। मिडिल से सेकेंडरी स्तर और आगे भी इनका अध्ययन करते रहने का विकल्प रहेगा।

भारतीय भाषाओं और अंग्रेज़ी के साथ-साथ बच्चों को विदेशी भाषाएँ भी सिखाई जाएँगी, ताकि बच्चे किसी भी दृष्टि से पीछे न हों। उनके पास मातृभाषा, स्वदेशी और विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विदेशी भाषाएँ, जैसे— कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी आदि को माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी बच्चा भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाएँ भी सीखेंगे जिसके कारण उसका भाषाई ज्ञान किसी भी तरह से एकांगी न होकर बहुआयमी होगा।

आधुनिक और मनोरंजक विधियों और गतिविधियों का समागम

गतिविधियाँ बच्चों को विषय से गहरे रूप से जोड़ने का कार्य करती हैं। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* भी कहती है कि 'कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं और इससे उनको अपने अनुभव विकसित करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील होने के अवसर मिलते हैं। हम यह भी याद दिला दें कि बच्चे इस प्रकार कि गतिविधियों के माध्यम से व्याकरण भी अधिक आसानी से सीख सकते हैं न कि उबाऊ व्याकरण शिक्षण से।' बच्चे किसी भी कक्षा के क्यों न हो उनके लिए प्रोजेक्ट या गतिविधियों के माध्यम से सिखाना रोचक और सहज हो जाता है तथा बच्चे भी तथ्यों को रटने की बजाए समझने, जानने और उनका आनंद लेते हैं। 'द लैंग्वेजेज़ ऑफ़ इंडिया' प्रोजेक्ट या गतिविधि के तहत बच्चे भारतीय भाषाओं से जुड़े प्रोजेक्ट करेंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट या गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को भाषाओं की व्याकरणिक संरचना, लिपि, उद्भव, विकास, प्रयोग के भौगोलिक क्षेत्र और साहित्य आदि के बारे में बताना है। बच्चे इस

© NCERT not to be republished

प्रोजेक्ट या गतिविधि को पूरे आनंद के साथ कर सकें और उनमें अंकों का कोई भय न हो इसलिए इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

भाषाएँ हमारे जीवन, इतिहास और संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। किसी समाज में आए परिवर्तनों की झलक हम उसकी भाषा में देख सकते हैं। भाषाओं को उनके विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं और प्रासंगिक विषयों के साथ संबंद्ध करके सिखाया जाएगा। भाषा शिक्षण को सरलीकृत करने का प्रयास किया जाएगा जिसमें नवीन और अनुभावात्मक विधियों, जैसे— फ़िल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य और संगीत आदि को जोड़ा जाएगा। अतः भाषा शिक्षण पूर्णतः अनुभावात्मक-अधिगम शिक्षणशास्त्र पर आधारित होगा।

भारतीय सांकेतिक भाषा (आई.एस.एल.) के मानकीकरण का सराहनीय कदम

भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। ज़्यादातर भाषाएँ सार्थक ध्वनियों की एक उचित व्यवस्था से विकसित हुई हैं परंतु भारतीय सांकेतिक भाषा बिना ध्वनि वाली संकेत सृजित भाषा है। हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बारिश बरसती हुई तो दिखाई देती है लेकिन उसकी आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी। जिन्होंने चिड़िया उड़ती हुई तो देखी है, दाना चुगती हुई भी देखी है लेकिन कभी उसका चहचहाना नहीं सुना। ऐसे न सुन पाने वाले श्रवण बाधित बच्चे अन्य बच्चों की तरह ही क्षमतावान और प्रतिभावान हैं। उनकी शिक्षा सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) के माध्यम से संभव हो पाती है। सांकेतिक भाषा उनके लिए संप्रेषण का एक साधन है। ऐसे में शैक्षिक दृष्टि से अन्य भाषाओं की तरह सांकेतिक भाषा को भी मानकीकृत रूप विकसित करना बहुत ज़रूरी है। जबकि सामाजिक संदर्भ में यदि देखें तो सामाजिक विविधताओं और निरंतर बदलाव होते रहने के कारण किसी भी भाषा की मानकीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली, एक तरह से अंतहीन, पर महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

भाषा अपने परिवेश से प्रभावित होती है और स्थानीय अंतर भाषिक अंतर को पैदा करता है। यही बात सांकेतिक भाषा पर भी लागू होती है। सांकेतिक भाषा पर भी अपने परिवेश की संस्कृति एवं मान्यताओं का गहरा असर होता है। जैसे विवाह के लिए कहीं 'शादी' शब्द का प्रयोग होता है तो कहीं उसे 'कल्याणम्' कहा जाता है। उसी तरह दोनों जगहों की शादी की रीतियों में भिन्नता के प्रभाव के कारण इस शब्द को प्रदर्शित करने वाले संकेत में भी अंतर है। यही सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रादेशिक अंतर सांकेतिक भाषा में भी अंतर पैदा कर देते हैं। अलग-अलग भाषा रूप दो विभिन्न प्रदेशों के व्यक्तियों के बीच संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं जिसके लिए भाषा का एक मानक रूप विकसित करना ज़रूरी है।

शैक्षिक दृष्टि से सांकेतिक भाषा के मानकीकरण की विशेष आवश्यकता है जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आसानी से पढ़ाया और समझाया जा सके। मानकीकृत भाषा होने की वजह से शिक्षार्थी एवं शिक्षक अपनी बात को आसानी से समझा सकें। खासकर बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले दृश्य-श्रव्य कार्यकर्मों में भी सांकेतिक भाषा के मानकीकृत रूप का प्रयोग किया जा सकेगा। उच्च शिक्षण स्तर की पाठ्यसामग्री को एक

© NCERT not to be republished

मानकीकृत सांकेतिक भाषा में ही बड़े स्तर पर तैयार कर उसका प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। आज यदि हम श्रवण बाधित व्यक्तियों या बच्चों की बात को समझने में असक्षम है तो यह उनकी नहीं, हमारी कमी है जिसे हमें जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है।

आज हम समावेशी शिक्षा पर ज़ोर देते हैं जिसमें हम सभी को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। दिव्यांग बच्चों को अलग से शिक्षा न देकर उन्हें अन्य बच्चों के साथ में शिक्षा देना बेहतर समझा जाता है। ऐसे में उन्हें पढ़ाने वाला शिक्षक भी कक्षा के हर बच्चे को अपनी बात संप्रेषित करने और बच्चे की बात को समझने में सक्षम होना चाहिए जिसके लिए उसको भी मानकीकृत सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना आना ज़रूरी है। अतः सांकेतिक भाषा के मानकीकरण से शिक्षक भी उस भाषा को सीख पाएँगे तथा कक्षा में वह अन्य बच्चों की तरह श्रवण बाधित बच्चों के साथ भी संवाद स्थापित कर सकेंगे। इस तरह से सांकेतिक भाषा का मानकीकरण भाषिक दृष्टि से समावेशी शिक्षा को पुष्ट करने वाला है। इस तरह से सांकेतिक भाषा के मानकीकरण से शिक्षा का प्रसार तेज़ी से होगा और राष्ट्रीय तथा राज्य पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना आसान हो जाएगा व ज़्यादा प्रभावी शिक्षण सामग्री तैयार करने में भी सहायक होगा। इससे प्रत्येक बच्चे तक एक गुणवत्तापूर्ण और सटीक पाठ्यसामग्री पहुँच पाएगी। मूल्यांकन और आकलन में भी सटीकता आएगी।

जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है कि सांकेतिक भाषा के मानकीकरण में स्थानिक भाषाओं का भी ध्यान रखा जाएगा (जहाँ तक संभव और प्रासांगिक होगा), उनका सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया भी जाएगा। सभी स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का ध्यान रखते हुए मानकीकृत भाषा विकसित करना और उसमें शिक्षा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य अवश्य है पर यह देश के हर बच्चे तक शिक्षा की एक समान पहुँच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन भी है।

निष्कर्ष

भाषा की शक्ति अतुलनीय और उसका प्रभाव अद्वितीय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा की इस शक्ति और बहुभाषी भारतीय समाज की आवश्यकताओं को समझते हुए जो प्रावधान किए गए हैं, वे सराहनीय हैं। शिक्षा नीति में जहाँ मातृभाषा के शिक्षण पर ज़ोर दिया है, वहीं अन्य भारतीय, शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात की गई है। इन भारतीय भाषाओं का शिक्षण नीरस या बोझिल न हो, इसके लिए अभिनव और अनुभावात्मक विधियों व गतिविधियों के प्रयोग पर बल दिया गया है। भाषाओं के संवर्धन के इस कार्य में भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत करने का कदम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। न केवल नीति निर्माण के स्तर पर अपितु उसके क्रियान्वयन के स्तर पर भी हम बिल्कुल तैयार हैं। इसके लिए विभिन्न भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री का निर्माण भी हो रहा है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की यह बहुभाषावादी पहल बहुआयामी, बहुगुणी और बहुमूल्य है।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. नयी दिल्ली.

———. 2019. *भाषा शिक्षण हिंदी. भाग 2*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नयी दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार.

श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ. 2016. *भाषाई अस्मिता और हिंदी*. वाणी प्रकाशन. नयी दिल्ली.

सभी भाषाओं के शिक्षा को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा, जिसमें सरलीकरण और ऐप्स के माध्यम से, भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं— जैसे कि फिल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य और संगीत को जोड़ते हुए, और विभिन्न प्रासंगिक विषयों के साथ और वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ संबंधों को दिखाते हुए इन्हें सिखाया जाएगा। इस प्रकार, भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक-अधिगम शिक्षणशास्त्र पर आधारित होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

© NCERT not to be republished